

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 18/14 अ0मु0दी0

झीगुरी सिंह पुत्र सुखपाल सिंह, आयु 70 वर्ष,
जाट ठाकुर, निवासी ग्राम सर्वा, तहसील गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

-----अपीलांट

बनाम

1-बीरेन्द्र सिंह पुत्र अयुद्धी सिंह आयु 60 वर्ष,
2-जुगराज सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह, आयु 58 वर्ष
3-धर्मेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह, आयु 45 वर्ष,
समस्त जाति-ठाकुर, निवासी ग्राम सर्वा, तहसील
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

4-श्रीमान् एस0डी0एम0 महोदय, गोहद

-----रेस्पोंडेंटगण

//आ दे श//

//आज दिनांक को पारित किया गया //

1- अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील का निराकरण किया जा रहा है जिसमें अपीलार्थी ने प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 7ए/14 में पारित आदेश दिनांक 12-5-14 से व्यथित होकर वर्तमान अपील पेश की गयी है । जिसमें अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी0पी0सी0 निरस्त किया गया है ।

2- यह अविवादित है कि वादी/अपीलार्थी की ओर से एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक व्यादेश वाबत् पेश किया गया है । सुविधा की दृष्टि से आगे के पदों में अपीलार्थी को वादी/आवेदक तथा प्रतिअपीलार्थी को प्रतिवादी/अनावेदक के रूप में संबोधित किया जायेगा ।

3- अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादी का आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सर्वा तहसील गोहद में आवादी के पास उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 2240 रकवा 0.46, 2243 रकवा 0.16, 2244 रकवा 0.09, 2239 रकवा 0.28 कुल 4 खाते स्थित हैं । सर्वे क्रमांक 2240 एवं 2248 में वादी का 1/2 भाग तथा शेष सर्वे उसके एक मात्र स्वत्व के हैं । मौके पर उसने आलू की फसल लगायी है और कछ्यानी की गयी है । ग्राम सर्वा के उत्तर पूर्व दिशा में ग्राम आवादी से लगी हुयी आर0.सी0सी0 की रोड है जिसके एक ओर वादी का खेत है

तथा रोड पर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के मकान बने हुये हैं । मौके की वस्तुस्थिति वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शायी गयी है । वादी ने आगे यह भी बताया है कि प्रतिवादी के मकान के परनालों का दैनिक उपयोग का पानी मकान के सामने गड्डों में एकत्रित होकर कच्चे गलियारों में जाता था, परन्तु माह अक्टूबर 2013 में कच्चे गलियारों में आर0सी0सी0 रोड का निर्माण हो गया है । प्रतिवादी ने अपने मकान के सामने बने गड्डों को बंद करवा दिया है, जिससे उनके मकान पर पानी नवीन रोड पर भरकर मकान के सामने एकत्रित होने लगा है । दिनांक 31-12-13 को प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने षण्यन्त्र पूर्वक झूठी कहानी बनाकर प्रतिवादी क्रमांक-4 एस0डी0एम0 गोहद को विवादित जगह बतायी जिस पर प्रतिवादी क्रमांक -4 ने यह धमकी दी कि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के मकान का पानी वादी के सर्वे क्रमांक 2239 के हिस्से में से निकले हैं । वादी के द्वारा यह बताये जाने पर कि किस खेत में आलू की फसल खडी है और हमेशा पानी निकलने से खेतों में पानी भरेगा उसकी सम्पूर्ण फसल बरबाद हो जायेगी । उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रतिवादीगण के मकानों से पानी निकलने के लिये थोड़ी दूर पर शासकीय जगह है । जहां नाली बनाकर पूरा पानी निकाला जा सकता है । किन्तु प्रतिवादीगण न माने और वादी के खेत पर से पानी निकालने के लिये जिद्द पर अड़े रहे । प्रतिवादी क्रमांक 4 यह कहकर वापिस चले गये आपस में व्यवस्था बना लो अन्यथा सर्वे क्रमांक 2239 पर पानी निकलेगा । प्रतिवादीगण वादी के खेत में खडी फसल में पानी एकत्रित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के कृत्य से वादी के हित प्रभावित हो रहा है । वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी उसके पक्ष में है । ऐसी दशा में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है

4- प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के द्वारा अपने जवाब में यह बताया कि सर्वे क्रमांक 2240 का रकवा 0.16 और सर्वे क्रमांक 2244 का रकवा 0.09 कुल रकवा 0.25 हैक्टेयर होता है जो कि वास्तव में नहीं है । क्योंकि बंदोवस्त के पूर्व सर्वे नम्बर 1465 का रकवा 0.42, 1486 का रकवा 0.021 और 1487 का रकवा 0.146 इस प्रकार कुल रकवा 0.209 जो कि बंदोवस्त के बाद का रकवा वादीगण के द्वारा एक बीघा 4 विस्वा गलत रूप से बना दिया गया है । सर्वे क्रमांक 2244 खाली जगह है जो जमींदारी काल से बना हुआ है । उस पर बर्सात का पानी एवं गांव के बर्ताव का पानी सर्वे क्रमांक 2244 एवं 2247 के बीच से निकलकर पूर्व से उत्तर दिशा की ओर निकलता रहा है । वादी के द्वारा जो नक्शा बताया जा रहा है उसमें गांव वालों के मकानों की स्थिति नहीं बतायी गयी है । प्रतिवादीगण के मकान के सामने गड्डों में पानी भराव के लिये नहीं था बल्कि गांव के रास्ते के बगल से एक नाली निकाली

थी, जहां से पूरे मौहल्ले 70 घरों का पानी और बारिस का पानी भरकर सर्वे क्रमांक 2243 और 2244 के बगल से बना हुआ है । नाले से वहकर गांव के बाहर तक जाता था । उक्त स्थान पर वादी के द्वारा बंदोवस्त के समय अपने नम्बर में सामिल कर लिया गया है और पानी के बहाव को रोक दिया है । वादी ने पानी के बहाव को स्वेच्छया पूर्वक सर्वे क्रमांक 2248 में कर दिया है जिससे पानी निकल रहा था । लेकिन उसके द्वारा उक्त पानी के बहाव को भी रोक दिया है जिससे पानी का बहाव रुक गया । वादी के द्वारा बरसात का पानी गलत रूप से रोक देने के कारण गांव वालों ने एस०डी०एम० गोहद के समक्ष शिकायत की जो कि एस०डी०एम० गोहद के द्वारा मौका देखकर गांव के पानी के निकास को खुलवाया । वादी के किसी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ । कोई पानी मेड के बगल से निकल जाता है । वादी को किसी प्रकार से कोई धमकी नहीं दी गयी । सार्वजनिक पानी निकालने हेतु पानी के बहाव को रोकने का कृत्य पब्लिक न्यूसेंस की कोटि में आता है और यदि कोई सार्वजनिक न्यूसेंस है तो उसे एस०डी०एम० को हटाने का भी अधिकार है । ऐसी दशा में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई आधार न होने से आवेदनपत्र निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है ।

5— अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादी के आवेदनपत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० के संबंध में विचार किया गया । वादी के पक्षों को प्रथम दृष्टया प्रकरण होना न पाते हुये और सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का तथ्य न होना पाते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदनपत्र निरस्त किया गया है ।

6— अपीलार्थी के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 22-5-14 विधि विधान के विपरीत है । अपीलार्थी/वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण होने के उपरांत भी उसे न मानने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूल की गयी है । अधीनस्थ न्यायालय ने उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं शपथपत्रों के संबंध में भी उचित रूप से विचार नहीं किया है । आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है । वादी को उसके खेत से पानी के निकासी के कारण असुविधा हो रही है जो कि अपूर्तनीय क्षति का तत्व भी उसके पक्ष में है । ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12-5-14 को अपास्त करते हुये अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाना और वादग्रस्त स्थल के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया है ।

7— प्रतिअपीलार्थी/ प्रतिवादी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें हस्तक्षेप करने अथवा फेर-बदल

करने पर कोई आधार न होने से बताते हुए अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

8— अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में विचारणीय है कि:—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का पारित आदेश दिनांक 12.05.14 विधि एवं तथ्यों के विपरीत अपास्त किए जाने योग्य है और आवेदक का अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है?

9— अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि पानी निकलने के लिये कोई विधिक अधिकार प्रतिवादीगण को नहीं है एवं वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण मौजूद होने के उपरांत भी तथा उसे असहनीय क्षति होने के उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से आदेश पारित नहीं किया गया है और उसके आवेदनपत्र को निरस्त किया गया है। जबकि प्रतिअपीलार्थी अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय का आदेश उचित रूप से पारित किया गया है। वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया गया है और न ही अपूर्तनीय क्षति होने की कोई संभावना है।

10— आदेश 39 नियम 1 व 2 सी०पी०सी० से संबंधित आवेदनपत्र का निराकरण मुख्य रूप से पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्रों एवं अन्य प्रारम्भिक साक्ष्य के आधार पर किया जाना आपेक्षित है। वादी पक्ष की ओर से वादी झींगुरी सिंह का तथा साक्षी जयराम तथा बन्टी सिंह का शपथपत्र पेश किया गया है। उक्त शपथपत्रों के प्रतिखण्डन में प्रतिवादीगण के द्वारा बीरेन्द्र सिंह प्रतिवादी क्रमांक-1 और साक्षी राजवीर सिंह, प्रेमसिंह और हरीसिंह के शपथपत्र पेश किये गये हैं। आवेदक/वादी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्रों में उसके द्वारा किये गये अभिवचनों का समर्थन किया गया है जबकि अनावेदक/प्रतिवादीपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में प्रतिवादी के द्वारा किये गये अभिवचनों का समर्थन किया गया है। इस प्रकार पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों के आधार पर इस संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। प्रकरण में पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत अन्य प्रारम्भिक साक्ष्य व प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में विचारण किया जाना उचित होगा।

11— सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि वर्तमान दावा वादी के द्वारा वादग्रस्त बतायी गयी भूमि से प्रतिवादीगण के द्वारा पानी न निकाला जाये इस संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा तथा पानी के निकासी हेतु व्यवस्था करने के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को आदेशात्मक व्यादेश की पानी निकासी की स्थायी रूप से व्यवस्था करने वाबत् पेश किया गया है। वादी/आवेदक के अभिवचन के अनुसार वादग्रस्त बताये गये सर्वे नम्बर उनके स्वामित्व की भूमि है। इस वाबत् वादी के द्वारा खसरो की

प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी है जिसमें कि उक्त खसरा नम्बर वादी के स्वामित्व की होना दर्ज है ।

12— प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह बताया गया है कि वादी ने बंदोबस्त के समय अपने सर्वे क्रमांक को गलत रूप से बढ़ाया है । जबकि मकानों का पूर्व में अपानी सर्वे क्रमांक 2244 से निकालकर जिसे कि वादी के द्वारा अपने खेत में मिलान किया गया है तथा बाद में उसने ग्राम वासियों की सहमति से सर्वे क्रमांक 2248 में से पानी निकालने की सहमती दी थी उसके द्वारा रास्ते को पूरा कर पानी का निकास बंद कर दिया गया है । इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा पटवारी के द्वारा नायवतहसीलदार वृत्त एण्डोरी को दिया गया प्रतिवेदन दिनांक 7-1-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें कि वादी के द्वारा बंदोबस्त के उपरांत वादी के द्वारा अपने रकवा बढ़ाने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है एवं उक्त त्रुटि की सुधार वाबत् नायवतहसीलदार वृत्त एण्डोरी के यहां प्रकरण भी चल रहा है जो कि प्रकरण क्रमांक 4/2013-14 अ-5 से स्पष्ट है ।

13— यह उल्लेखनीय है कि वादी ने सरपंच की ओर से दिया गया दिनांक 21-3-14 का पंचनामा पेश किया गया है जिसमें कि इस बात का उल्लेख है कि प्रतिवादीगण और गांव के अन्य घरों का पानी गलियों से बहकर मरघट के पास तालाब में गिरता था जबकि उसके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों में यह बताया गया है कि उक्त पानी खाली जगहों पर बने हुये गड्ढों में भरता था । इस प्रकार उक्त पंचनामों के आधार पर जो कि स्वयं आवेदक के द्वारा किये गये अभिवचनों और शपथपत्रों का समर्थन नहीं करता । इस संबंध में वादी के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । वादी की ओर से अन्य दस्तावेज जो कि सरपंच ग्राम पंचायत सर्वा का दिनांक 25-3-14 का प्रमाणिकरण पेश किया गया है जिसमें कि वैकल्पिक नाला बनाने के संबंध में ठहराव का उल्लेख है । किन्तु उक्त ठहराव पंचायत के द्वारा पारित किया गया हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं है ।

14— वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रतिखण्डन में प्रतिवादी पक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिनमें कि एस0डी0एम0 गोहद को दिनांक 26-12-13 को ग्राम पंचायत को उनके द्वारा दिया गया पत्र । ग्राम पंचायत सर्वा का दिनांक 26-1-14 को पारित किया गया प्रस्ताव पेश किया गया है । ग्राम पंचायत का पंचनामा जो कि सरपंच, सचिव, पटवारी तथा अन्य ग्राम वासियों की मौजूदगी में होना बनाया गया है उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पूर्व में सर्वे नम्बर 2244 के

भाग के पानी की निकासी जो कि वादी ने अपने सर्वे में मिला लिया वादी के द्वारा यह सहमति दी गयी थी कि वह सर्वे नम्बर 2248 में पानी निकालने का रास्ता देंगे किन्तु उसके द्वारा उसे भी बंद कर दिया गया है । जिससे कि पानी के निकासी का रास्ता बंद हो गया है जिसकी कि निकासी की व्यवस्था एस०डी०एम० के द्वारा की गयी है । यह उल्लेखनीय है कि वादी के द्वारा बताये गये विवादित सर्वे नम्बर बंदोबस्त के बाद अपने रकवे में मिलाने के संबंध में सर्वे नम्बर में सुधार की कार्यवाही चल रही है । निश्चित तौर से वास्तव में पानी निकासी का रास्ता कहां से था यह सम्पूर्ण साक्ष्य का विषय है जिसका कि निराकरण साक्ष्य के उपरांत ही हो सकता है । वर्तमान में स्थिति यह है कि पानी निकासी का कोई तात्कालिक व्यवस्था न होने से 4248 में से पानी निकालने की व्यवस्था की गयी है । जो कि इस संबंध में वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक दस्तावेजों के मुताबिक प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अधिक प्रभावी होना दर्शित हैं । यह भी स्पष्ट है कि पानी रोकने से समस्या जो कि पूरे गांव की समस्या है जिसमें कि गांव के 70 से अधिक घर प्रभावित हो रहे हैं । मौके पर पानी निकालने हेतु कोई तात्कालिक व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गयी हो तो वह सार्वजनिक हित का ही माना जायेगा ।

15— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक/वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा वाबत् कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण मौजूद होना नहीं पाया जाता । इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आयी हुयी प्रारम्भिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण होना नहीं पाया जाता । इसी प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तत्व भी आवेदक/वादी के पक्ष में होना नहीं पाये गये बल्कि पानी की निकासी खेत में थोड़ा सा रास्ता बनाकर हो सकता है इससे पूरा खेत प्रभावित हो या उसकी पूरी फसल प्रभावित हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता बल्कि यदि गांव का पानी एक जगह इकट्ठा हो जायेगा तो इससे लोक प्रदूषण फैलने की संभावना हो सकती है । इस परिप्रेक्ष्य में भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा वादी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य होना न पाये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है ।

16— उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि की जानी नहीं पायी जाती है बल्कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आयी हुयी प्रारम्भिक साक्ष्य एवं

प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में विचार करते हुये प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में फेरबदल करने के कोई आधार नहीं है । तदनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 12-5-14 की पुष्टि की जाती है । अपीलार्थी की वर्तमान अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला जज
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर जिला जज
गोहद जिला भिण्ड